बिहार विधान-सभा सचिवालय

सार्वजनिक नीलामी की सूचना

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना में अनुपयोगी वस्तुओं/कागजातों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक-05.07.2018 को 3.00 बजे अप० में बिहार विधान सभा के उप भवन स्थित सभागार में होगी। नीलाम की जाने वाली अनुपयोगी वस्तुओं/कागजातों की विस्तृत सूची एवं इससे संबंधित शर्तें बिहार विधान सभा के बेवसाईट www.vidhansabha.bih.nic.in पर देखी जा सकती है।

नीलाम की जाने वाली अनुपयोगी वस्तुओं/कागजातों का आधार मूल्य 1,25,000/-(एक लाख पच्चीस हजार रूपये) होगा। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों/एजेंसियों को 05,000/-(पांच हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद अग्रधन राशि के रूप में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में दिनांक-05.07.2018 को 12.00 बजे मध्या० तक जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार विधान सभा के पदनाम से पटना में भुगतेय होगा। अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी को अनपुयोगी वस्तुओं/कागजातों की नीलामी दी जायेगी। नीलामी में सफल व्यक्ति/एजेंसी को अधिकतम डाक मूल्य का 25% राशि उसी दिन सभा सचिवालय में जमा करना होगा। नीलामी के संबंध में कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में बिहार विधान सभा के अवधायक शाखा से दूरभाष संख्या-0612-2217240 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है तथा अनुपयोगी वस्तुओं/कागजातों को भौतिक रूप से भी अवलोकन किया जा सकता है।

अन्य शर्तें:-

1. नीलामी के पश्चात् दिनांक-12.07.2018 तक नीलाम की जाने वाली सभी वस्तुओं/कागजातों को बिहार विधान सभा परिसर से उठाव कर लेना पड़ेगा।
2. अधिकतम डाक मूल्य बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी डाक मूल्य का 25% अथवा बोली की कुल राशि सभा सचिवालय में जमा नहीं करते हैं अथवा समय सीमा के अंदर शेष 75% राशि जमा कर नीलाम की जाने वाली अनुपयोगी वस्तुओं/कागजातों का उठाव नहीं करते हैं तब वैसी स्थिति में दूसरे उच्चतर डाक बोलने वाले व्यक्ति/एजेंसी को नीलामी का कार्य दे दिया जायेगा।
3. सभा सचिवालय के पदाधिकारी/कर्मचारी डाक में भाग नहीं लेंगे।
4. बिना कारण बताये इस नीलामी को रद्द करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय को होगा।

26.6.18

अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।